जवाहर नवोदय विद्यालय, गजनेर जिला–बीकानेर (राज0)

सत्र 2018–19 हेतु टक–शॉप (कैन्टीन/पीसीओ) संचालन के लिए निविदा (वैधता 30.04.2020 तक)

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदादाता द्वारा देय अधिकतम किराया दर प्रतिमाह (रूपये में)
1	विद्यालय परिसर में कैन्टीन एवं पीसीओ संचालन का कार्य	

निविदा एवं शर्तें :–

01 निविदा में स्वीकृत अधिकतम किराये की राशि के अलावा प्रतिमाह विद्युत शुल्क न्यूनतम राशि रूपये 100/–प्रतिमाह अथवा मीटर की प्रति युनिट खपत की गणना से विद्यालय बिजली बिल मे दर्शायी गई युनिट दर के हिसाब से वसूला जायेगा। न्यूनतम राशि रूपये 100/– विद्यालय ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त (ठेका अवधि) में कैन्टीन बंद रहने की स्थिति में भी वसूल की जायेगी।

02 कैन्टीन/पीसीओ का संचालन प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, गजनेर जिला–बीकानेर (राज0) के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार करना होगा। निर्देशो की अवेहलना होने की स्थिति में यह ठेका रद्द किया जा सकता है तथा जमा धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार नहीं होगा।

03 निविदा में अधिकतम दर स्वीकृत होने पर फर्म एक संचालन संबंधी कार्य एवं निर्देशो का शपथ–पत्र 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कैन्टीन/पीसीओ संचालक ठेकेदार द्वारा नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा तथा इसके अतिरिक्त एक अनुबंध करार जो ठेकेदार व प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, गजनेर जिला–बीकानेर (राज0) के मध्य होगा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

04 शपथ–पत्र में वर्णित तथा अनुबंध प्रपत्र में वर्णित शर्तो के अलावा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, गजनेर जिला–बीकानेर से जारी होने वाले समस्त दिशा–निर्देश स्वीकार करने होगे तथा उनमें किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।

05 प्राचार्य द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार ही अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी अथवा उससे कम मूल्य पर सामान की बिक्री की जायेगी। एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री किसी भी स्थिति में नही की जायेगी। शिक्षण संस्थाओं में प्रतिबंधित सामान कैन्टीन मे नही रखा जायेगा और न ही बिक्री की जायेगी। प्राचार्य अथवा उनके नामित सदस्य द्वारा कभी भी बिना पूर्व सूचना के सामान की जांच की जा सकती है।

06 प्राचार्य द्वारा जारी आदेश में वर्णित समय पर ही कैन्टीन खोली व बन्द की जायेगी।

07 इस कैन्टीन/पीसीओ में सामान की बिक्री केवल मात्र विद्यार्थियों, स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिजनों तक ही सीमित होगी। किसी भी स्थिति में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जायेगा।

08. नवोदय विद्यालय एक सह शैक्षिक–आवासीय विद्यालय होने के कारण कैन्टीन संचालक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने पर मात्र एक नोटिस जारी कर अनुबंध करार बीच में रद्द कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी जिसके लिये किसी भी प्रकार का वाद मान्य नही होगा।

09. विद्यालय द्वारा न्यूनतम दर रूपये 3000/– प्रतिमाह निर्धारित की गई है। अतः निविदा दर उससे कम होने पर उसे अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

10. यह अनुबंध ग्रीष्मावकाश को छोड़कर दो वर्षो की अवधि के लिए वैध होगा।

स्वीकार करता हूँ ।

दिनांक : ....

निविदा कर्त्ता का नाम व हस्ताक्षर________

फर्म का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

____

____

फोन नं. मय STD कोड ____________

फर्म की मुहर ____________________

संलग्नकः

डिमाण्ड ड्राफ्ट नं. ....

दिनांक : ....

राशि : ....